तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **सुमेरसिंह वगैरह बनाम भंवरसिंह वगैरह, मुकदमा संख्या :– 106 / 2014**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
05.11.2024		

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वांके सरहद बिजरोल खेड़ा के खेत खसरा संख्या 279 रकबा 36 बीघा 05 बिस्वा प्रथम सेटलेंट में हमीरसिंह पुत्र धुड़सिंह खातेदार के नाम से पट्टा बना तथा पुराना खसरा संख्या 280 रकबा 32 बीघा 09 बिस्वा का पट्टा हमीरसिंह के भाई खीमसिंह व विरधसिंह वल्द धुड़सिंह के नाम बना। पुराना खसरा संख्या 2780, 280 रकबा क्रमशः 27 बीघा 05 बिस्वा, 32 बीघा 09 बिस्वा प्रार्थीगण के दादा हमीरसिंह के भाईयों खीमसिंह व विरधसिंह के नाम से प्रथम पट्टा बना तथा पुराना खसरा संख्या 279 प्रार्थीगण के दादा हमीरसिंह के नाम से पट्टा बना। पुराना खसरा संख्या 279 में से मूर्तिब हुए नये खसरा नंबरान 363, 364 रकबा क्रमशः 0.01, 5.46 हैक्टेयर वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 1 लगायत 2 के नाम है। राजस्व रेकर्ड में वर्तमान खसरा संख्या 365, 366, 361, 368 अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का नाम चला आ रहा है, किन्तु खसरा संख्या 361, 365 अप्रार्थी संख्या 3 व 4 क्रमशः तुलछा, राम पिसरान सुरजन के नाम द्वितीय सेटलमेंट वालों ने गलत इन्द्राज कर दिया। खसरा संख्या 361 रकबा 0.72 हैक्टेयर तुलछा, रामु पिसरान सुरजन बिश्नोई, साकिन–बिजरोल खेड़ा की कतई नहीं थी, किन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण को नुकसान करने के इरादे से उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 को बेचान कर दी। खसरा संख्या 361, 362, 363, 364, 365 जुमले रकबा 7.64 हैक्टेयर भूमि मौके पर पुरा एक चक है उक्त एक चक की भूमि में से खसरा संख्या 361 रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 जबरन कब्जा करना चाहते है तथा प्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी कि कब्जा छोड़ दो अन्यथा हम लाठी के जोर पर कब्जा ले लेंगे। उक्त भूमि प्रार्थीगण की है जिस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त व बेरा तथा ढाणीयें प्रार्थीगण की है इससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार तीनों आधारभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रथम सर्वे से पूर्व व प्रथम सर्वे के वक्त अप्रार्थीगण के दादा के मालिकाना हकहकूक व खातेदारी की होने से विधिवत् खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, तत्पश्चात पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगात विधिवत हमारे नाम दर्ज हुई जिससे प्रार्थीगण का कोई हक हकूक व लेना देना नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि पर प्रथम सर्वे से ही हमारे दादा शिवजी व उसके फौत होने पर उनके वारिस सुरजन तथा सुरजन के फौत होने पर अप्रार्थीगण के नाम विधिवत् दर्ज हुई है इस प्रकार पिछले 50–60 सालों से वादग्रस्त भूमि पर हमारा पीढी दर पीढ़ी बहैसियत मालिकाना हक हकूक व खातेदार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है मौके पर पीढ़ियों से रहवासीय ढाणीयां मौजूद है। नक्शे की किस्तबार आकृति पर वर्षों पुरानी माठें कायम है। जिससे सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में व प्रार्थीगण के विरूद्व है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पुराने खसरे से मिलान क्षैत्रफल अनुसार व हमारे कब्जे अनुसार नये खसरे का सृजन किया गया है। जिसे 50–60 वर्ष होने आये है। प्रार्थीगण धनबल व प्रभावशाली व्यक्ति होने से जबरन भूमि हड़प करने के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हकहकूक प्रभावित नहीं है जिससे अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार कानुनी तीनों स्तंभ अप्रार्थीगण के पक्ष में है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम बिजरोल खेड़ा के खसरा संख्या 361, 365 का विक्रय नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:39 IST
Reason: SelfAttested